

पुस्तक

३० रजनीश दुखे,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सौवा में

महानिदेशक,  
घिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण  
उ०प्र०. लखनऊ।

चिवित्सा शिक्षा अनुभाग-२

**दिव्यय-** राजकीय भेड़िकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में एनडीएसपीएस  
/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में  
प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध  
में।

महोदय

महोदय  
उपर्युक्त विध्यक अपने पत्र संख्या-एम०इ०-३/२०१७/४५७ दिनांक २२.०६.२०१७ का कृपया  
सन्दर्भ माहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों का काम ३ दृष्टिगत राजकीय डेंडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त नियमों का अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्वीकृति पदान करते हैं-

1. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०)/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

दिवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित का जायः—				सेवा का स्थान
क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	
1	स्नातक (एम०बी०बी० एस० / बी०डी०एस०)	02 वर्ष	रु० 10.00 लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में सविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
2	स्नातकोत्तर (एम० डी० / एम०एस० / एम०डी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु० 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रु० 20.00 लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेण्ट अथवा सविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में

सुपर स्पेशियलिटी (बी० एम०/ एम०सी०एस०)	02 वर्ष	₹० १००.०० वार्ष	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राजा की जिला अस्पताल चिकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विभाग चिकित्सक के रूप में।
---	---------	--------------------	--

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्त्ती के आधीन विभादित की जायेगी—

1. बाण्ड से विद्युतन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (बी०एम०एच०एस० संवर्ग की एम०बी०बी०एस० डिरीचारी चिकित्साचिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की घनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की घनराशि सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थान/ विश्वविद्यालय स्तर पर समर्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/ निदेशक/ कुलसंविध व के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार मे जमा करायी जायेगी।
2. बाण्ड से विद्युतन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की घनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
3. ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस०/ स्नातकोत्तर डिग्री द्यारक/ बी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ एम०डी०एस०) को वहीं परिलक्षियों तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान बी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/ सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
4. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलक्षियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
5. बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध चिकित्यों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किया जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि राम्भनित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार व्ययनित हो जाता है तो उद्दनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम से बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी की आवश्यक मानदेय तथा परिलक्षियों का भूगत्तान सम्बन्धित विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं रक्तस्थ विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित द्विपक्षीय बाण्ड में द्वितीय पक्ष श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से एचीमेण्ट बाण्ड पर हस्ताक्षर करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कालेज/यूनिवर्सिटी के सकाम अधिकारी को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

3- उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)  
प्रमुख सचिव।

संख्या—950(1) / 71-2-2018—तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—  
प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. कुलपति, उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटापा।
7. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आ०इ०, लखनऊ।
8. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
10. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
11. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० ( द्वारा महानिदेशक, चिऽशि० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
12. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० ( द्वारा महानिदेशक, चिऽशि० एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ)।
13. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—१ एवं ४।
14. गार्ड फाईल।

आङ्गा से,

(अनिल कुमार  
उप सचिव।